मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1145
07.02.2020 को उत्तर के लिए

भारत शीतल कार्ययोजना

1145. श्रीमती गीताबेन वी. राठवा :
श्री प्रदीप कुमार सिंह :
श्री राजीव प्रताप रूडी :
श्री नारणभाई काछड़िया :
श्री परबतभाई सवाभाई पटेल :
श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में भारत शीतल कार्ययोजना जारी की है;
(ख) यदि हां, तो इसके उद्देश्यों, लक्ष्यों और समयावधि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या मंत्रालय इस योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए अन्य मंत्रालयों/राज्य सरकारों के साथ समन्वय कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने प्रति व्यक्ति शीतस्थल (कूलिंग स्पेस) की औसत खपत को कम करने के लिए कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर जैसी पारंपरिक शीतलन प्रणाली के उपयोग को कम करने के लिए सरकार की कार्ययोजना का ब्यौरा क्या है; और
(च) देश में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) से (ड.) भारत शीतल कार्य योजना 8 मार्च, 2019 को शुरू की गई थी। आईसीएपी का 20 वर्ष की समयावधि के साथ दीर्घावधिक ध्येय है और इसमें ऐसी कार्रवाईयां सूचीबद्ध हैं जो कि अन्य बातों के साथ-साथ शीतलन मांग को कम करने में सहायता कर सकती हैं। एयर कंडीशनर्स जैसी प्रशीतक आधारित स्थल शीतलन प्रौद्योगिकियों के अलावा आईसीएपी में पंखे और कूलरों जैसी गैर प्रशीतक आधारित प्रौद्योगिकियों और डिस्ट्रिक शीतलन जैसी इतर प्रौद्योगिकियों का प्रावधान किया गया है।

भारत शीतलन कार्रवाईयों में (i) 2037-38 तक विभिन्न क्षेत्रों की 20% से 25% तक शीतलन मांग को कम करना (ii) 2037-38 तक 25% से 30% प्रशीतक मांग में कमी लाना (iii) 2037-38 तक 25% से 40% तक शीतलन ऊर्जा अपेक्षाओं में कमी लाना (iv) राष्ट्रीय एस एंड टी कार्यक्रम के अंतर्गत अनुसंधान के महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में 'शीतलन और संबद्ध क्षेत्रों' को मान्यता देना (v) भारत कौशल मिशन की सहक्रिया के रूप में 2022-23 तक 100,000 सेवा क्षेत्र के तकनीशियनों को प्रशिक्षण एवं प्रमाणन देना शामिल है। मंत्रालय ने आईसीएपी के बेहतर क्रियान्वयन के लिए संचालन समिति और छः विषयपरक कार्य दलों का गठन किया है जिसमें भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

(च) भारत सरकार जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) कार्यान्वित कर रही है जो जलवायु परिवर्तन उपशमन और अनुकूलन संबंधित कार्रवाईयों के लिए व्यापक कार्यढांचा उपलब्ध कराती है। एनएपीसीसी में सौर ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, जल, कृषि, हिमालयी पारि-प्रणाली, सतत पर्यावास, हरित भारत और जलवायु परिवर्तन के संबंध में कार्यनीतिक जानकारी जैसे विशिष्ट क्षेत्रों के मिशन शामिल हैं। राज्य स्तर पर जलवायु कार्यवाईयां जलवायु परिवर्तन संबंधित राज्य कार्य योजना (एसएपीसीसी) द्वारा निर्दिष्ट की जाती हैं। तैंतीस राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के विशिष्ट मुद्दों को ध्यान में रखते हुए एनएपीसीसी के अनुरूप अपनी जलवायु परिवर्तन संबंधी राज्य कार्य योजना तैयार कर ली है। ये एसएपीसीसी अन्य बातों के साथ-साथ क्षेत्र विशिष्ट और अंतर क्षेत्रीय वरीयता जलवायु कार्रवाईयों को भी रेखांकित करते हैं। भारत ने वर्ष 2020 अवधि से पूर्व वर्ष 2020 तक अपनी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की उत्सर्जन की गहनता को वर्ष 2005 के स्तरों से तुलना में 20-25% कम करने का स्वैच्छिक लक्ष्य घोषित किया था। भारत सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) को वर्ष 2018 में प्रस्तुत द्वितीय द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2005 और वर्ष 2014 के बीच भारत जीडीपी उत्सर्जन की मात्रा में 21% की कमी लाया है। पेरिस करार के तहत, भारत ने वर्ष 2020 के बाद की अवधि के लिए अपने राष्ट्रीय तौर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) को प्रस्तुत किए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ लक्ष्य (i) वर्ष 2030 तक वर्ष 2005 के स्तरों से 33 से 35 प्रतिशत तक अपनी जीडीपी की उत्सर्जन सघनता को कम करना, (ii) वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन पर आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 40 प्रतिशत संचयी विद्युत संस्थापित क्षमता को प्रौद्योगिकी के हस्तांरण और अंतरराष्ट्रीय वित्त की कम लागत जिसमें हरित जलवायु निधि (जीसीएफ) शामिल है, से प्राप्त करना, और (iii) वर्ष 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्ष आवरण के माध्यम से CO_2 समकक्ष के 2.5 से 3 बिलियन टन का अतिरिक्त कार्बन सिंक सृजित करना शामिल हैं।

*****